

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक ..... 36/11 / 1110 सु० को०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक 24.12.2012

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-तर्गत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 65, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2174, दिनांक 11.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0103-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- **P-2235607890103** तथा रकीम कोड- WEL-5503 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावंटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषांगार से राशि की निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसी उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**अनुलग्नक:-** सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावंटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन

22/12/12  
जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

**समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)**

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक का बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतानादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार आवंटन।

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवतान	269300	136000	405300
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा नगर पंचायत सहित	388800	197000	585800
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुठनी	424300	214500	638800
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली	451100	228000	679100
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जीरादेई	455700	230100	685800
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान	397000	200500	597500
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज	514400	259800	774200
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आन्दर	302800	152900	455700
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर	342900	173200	516100
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसवन	350700	177100	527800
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हसनपुरा	379000	191400	570400
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पचरुखी	615900	311000	926900
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़हरिया	411400	207800	619200
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महाराजगंज नगर पंचायत सहित	293500	148200	441700
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी	385200	194500	579700
16	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	214200	108200	322400
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नबीगंज	265200	134000	399200
18	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	457800	231200	689000
19	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौंदा	449100	225200	674300
20	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।	18900	15300	34200
<b>कुल योग:-</b>		<b>7387200</b>	<b>3735900</b>	<b>11123100</b>

सैंतीस लाख पैतीस हजार नौ सौ रूपये मात्र।

22/12/12  
जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक ...../सा०सु०को०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक .....

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-तर्गत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 65, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2174, दिनांक 11.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- **P-2235607890103** तथा स्कीम कोड WEL-5503 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषागार से राशि की निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।


विश्वासभाजन

  
जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

ज्ञापक ..... 36/36 ...../सा०सु०को०, दिनांक ..... 24/12/2012 .....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- DiO को जिला की website पर प्रकाशन हेतु ।

  
जिला पदाधिकारी,  
सिवान।